

न्यायालय- प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 बैतूल के न्यायालय के तृतीय  
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 बैतूल, जिला बैतूल (म0प्र0)  
{समक्ष-श्रीमती सीता कनोजे}

व्यवहार वाद क.-1600049ए / 13

संस्थित दिनांक-11.02.2009

1. तरुण भावसार वल्द श्री श्यामलाल भावसार  
निवासी- खंजनपुर बैतूल तह. जिला बैतूल (म.प्र.)  
—आवेदक / वादी

—:विरुद्ध:-

1. किरण पत्नी सुरेश भावसार, उम्र 52 वर्ष
2. सुरेश वलद श्री गोरेलाल भावसार, उम्र 54 वर्ष  
निवासी- भावसार मार्केट कोठीबाजार बैतूल  
तहसील जिला बैतूल
3. उपसंचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश  
अवस्थी कॉम्प्लेक्स के पीछे, सिविल लाईंस  
बैतूल तहसील व जिला बैतूल
4. नजूल अधिकारी  
कलेक्ट्रेट बैतूल, तह. व जिला बैतूल
5. मुख्य नगर पालिका अधिकारी  
नगर पालिका परिषद बैतूल  
तहसील व जिला बैतूल —अनावदेकगण / प्रतिवादीगण

---

वादी द्वारा श्री एच.एस. खंडेलवाल अधिवक्ता।  
प्रतिवादी क- 1 एवं 2 द्वारा श्री बी.सी. रांका अधिवक्ता।  
प्रतिवादी क- 3, 4, 5 पूर्व से एकपक्षीय।

---

//आदेश//

(आज दिनांक-27.03.2018 को पारित ।)

**01.** इस आदेश के द्वारा प्रतिवादीगण/अनावेदकगण क्र. 1 एवं 2 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. 1908 का निराकरण किया जा रहा है ।

**02.** प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रतिवादी क्र. 1 द्वारा वादी एवं अन्य के विरुद्ध व्यवहार वाद क्रमांक 20ए/2005 व्य.न्या. वर्ग 1 के न्यायालय में पेश किया था जिसमें 26.10.2010 को प्रतिवादी के पक्ष में निर्णय किया गया । जिसके विरुद्ध वादी द्वारा अपील प्रस्तुत की गई। अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28.07.11 को वादी तरुण की अपील निरस्त की गई जिसके विरुद्ध वादी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की है जो लंबित है।

**03.** स्वीकृत तथ्य के अतिरिक्त प्रतिवादी क्र. 1 एवं 2 के अभिवचन संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी के पिता एवं प्रतिवादी क्र. 2 के पिता द्वारा भावसार मार्केट में आने जाने के लिये 3 कॉमन रास्ते रखे थे जिसमें से एक रास्ते को वादी ने बल पूर्वक अवैध रूप से बंद कर दिया था जिसके कारण प्रतिवादीगण क्र. 1 व 2 द्वारा वादी एवं उसके अन्य दो भाइयों के विरुद्ध वाद क्रमांक 20ए/2005 व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 26.10.2010 को प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित किया गया इस निर्णय के विरुद्ध तरुण भावसार वादी द्वारा वाद क्रमांक 20ए/2005 के प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 को रैस्पॉण्डेंट बनाते हुये जिला न्यायाधीश बैतूल को अपील क्रमांक 17ए/2010 प्रस्तुत की गई है जो दिनांक 28.07.2011 को निरस्त हुई। इस अपीलीय निर्णय के विरुद्ध वादी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की है जो लंबित है।

**04.** व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 के उक्त निर्णय दिनांकित 26.10.2010 की कंडिका 25 में यह उपमति दी गई कि भावसार मार्केट के तीनों रास्ते कॉमन हैं। वाद पत्र की कंडिका 5 में किये गये अभिकथनों के समर्थन में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है और इस वाद में सीमेंट रोड और मुर्गी चौक के रास्ते से भावसार मार्केट के नाम से जाने जानी वाली बिल्डिंग में प्रवेश हेतु 2 रास्ते रिक्त भूमि के रूप में वादी ने स्वीकार किये हैं। दो रास्तों में से एक रास्ता साढ़े सात फीट चौड़ाई, सीमेंट रोड से अंदर आने के लिये है और दूसरा 8 फीट चौड़ा रास्ता मुर्गी चौक वाली रोड से अंदर आने के लिये है । उक्त दोनों रास्ते वादी के लिये स्वर्गीय श्यामलाल भावसार

और प्रतिवादी क. 2 के पिता स्वीर्गीय गोरेलाल भावसार द्वारा पुश्त दर पुश्त रास्ते के इस्तेमाल हेतु रखे गये हैं। तदनुसार दोनों रास्तों की लंबाई चौड़ाई में कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता और न ही अपने जाने में किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न किया जा सकता है।

**05.** प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावे की अनुतोष की कंडिका 2 में यह घोषणा चाही है कि उपरोक्त गली तथा मुर्गी चौक सरकारी रोड तरफ की 8 फीट की चौड़ी गली दोनों पक्षों के किरायेदार दुकानदार तथा ग्राहकों के लिये निर्बाध पुश्त दर पुश्त कॉमन उपयोग भी है। उक्त साढ़े सात फीट चौड़े रास्ते के अंदर की ओर पूर्व दिशा में प्रतिवादी के पूर्व किरायेदार गुलाम मूर्तीजा की दुकान थी। इस दुकान के बाहर उपर की ओर मुर्गी चौक की ओर फेंस करते हुये प्रतिवादी ने सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाया था जिसे वादी तरुण द्वारा तोड़ दिया गया। इसी रास्ते में सीमेंट रोड की ओर प्रतिवादी ने वादी की प्रथम मंजिल पर जाने वाले रास्ते को फेंस करते हुये एक दूसरा सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाया था। दोनों कैमरों की वायरिंग को वादी द्वारा काट दिया गया था और गुलाब मूर्तीजा की दुकान के बाहर लगे सी.सी.टी.वी. कैमरे को वादी द्वारा लकड़ी मारकर तोड़ दिया गया। इसी तरह कॉमन रास्ते के उपर प्रथम मंजिल पर प्रतिवादी द्वारा लगाये गये सी.सी.टी.वी. कैमरे में अवरोध उत्पन्न किया गया ताकि वादी के अवैध कृत्य के फूटेज रिकार्ड न हो सके। वादी के उक्त अवैध कृत्यों के विरुद्ध दिनांक 19.08.2017, 26.08.2017 को लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना बैतूल में की गई लेकिन पुलिस द्वारा वादी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

**06.** मुर्गी चौक से भावसार मार्केट में जाने वाले रास्ते पर इस आवेदक से संलग्न फोटोग्राफ में ए से दर्शित पूर्व से बने निर्माण के उपर करीब डेढ़ दो फीट उंचा निर्माण कर दिया गया जिसके कारण प्रतिवादी के हाथ ठेले आदि से अंदर अपने व्यवसाय के माल को लाने ले जाने से रोक दिया और इसी तरह संलग्न फोटोग्राफ्स में बी से दर्शित लगभग एक फीट चौड़ा रास्ते पर अवैध निर्माण कर दिया है और जो शटर है उस पर पहले इस आशय का फ्लेक्स लगाया था कि "ये प्रॉपर्टी के ऑनर तरुण भावसार हैं कृपया पूछकर ही प्रवेश करें" जिसके बाबत प्रतिवादी द्वारा दिनांक 25.06.2017 को लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना बैतूल में करने पर भी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई जिससे वादी के आपराधिक कृत्यों को प्रोत्साहन मिला जिसके चलते प्रतिवादी ने उक्त फोटोग्राफ में दर्शित मुर्गी चौक से अंदर की ओर आने वाले (भावसार मार्केट) के जाली वाले शटर पर नीचे की ओर दोनों ओर लोहे के एंगलाइन वेल्डिंग करने लगा दिये और जिसके कारण अब यह शटर केवल 4 फीट उंचाई तक ही खुल पा रहा है और उसने उपर वेल्डिंग से लोहे का एक बोर्ड स्थाई रूप से लगाकर इस बोर्ड पर पुनः यह लिख दिया कि "ये प्रॉपर्टी के ऑनर तरुण भावसार हैं कृपया

पूछकर ही प्रवेश करें” वादी ने इस शटर पर ताला लगाकर रास्ता ही बंद कर दिया । वादी का यह कृत्य प्रतिवादी क्र. 1 एवं 2 के न केवल स्वत्व को आघात पहुंचता है अपितु उक्त दोनों कॉमन रास्तों के उपयोग व उपभोग में भी व्यवधान उत्पन्न होने से यह आवेदन इस स्थिति पर पेश करना आवश्यक हुआ है।

**07.** मुर्गी चौक से अंदर आने वाले रास्ते पर संलग्न फोटोग्राफ्स में A एवं B से दर्शित वादी द्वारा किये गये निर्माण को हटाया जावे एवं इस रास्ते में लगे जाली वाले शटर पर जो लोहे का बोर्ड वेल्ड किया गया है उसे निकाला जाकर, ताला हटाया जाकर वादी को निर्देशित किया जावे कि वादी उसकी इच्छानुसार शटर को बंद नहीं करे और सुबह 8 से रात्रि के दुकानों के खुले रहे रात्रि 9 बजे तक शटर को बंद करने का प्रयास न करे एवं साथ ही इस रास्ते के उपयोग में प्रतिवादी क्र. 1 एवं 2 परिवारजन कर्मचारीगण ग्राहकों एवं मजदूरों को आने जाने से अथवा हाथ ठेले से माल लाने व ले जाने की दशा से न रोके । शटर को पूर्वानुसार दिनांक 21.09.2017 की स्थिति में लावे। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

**08.** वादी ने प्रतिवादीगण के अभिचनों को असत्य बताकर अस्वीकृत किया है उनका पक्ष है कि जब एक अन्य व्यवहार वाद से संबंधित है जिसकी अपील माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है तब उक्त व्यवहार वाद के संदर्भ में इस निषेधाज्ञा आवेदन में उल्लेख करने का आशय एक मात्र यह है कि प्रतिवादी न्यायालय को भ्रमित कर न्यायालय से असत्य एवं निरर्थक आवेदन पर पूर्व वाद की भूमिका बनाकर लाभ प्राप्त किया जा सके। तथाकथित रास्तों के संदर्भ में वादी के पिता श्यामलाल भावसार द्वारा गोरेलाल भावसार को पुश्त दर पुश्त आने जाने के इस्तेमाल हेतु दिये गये अधिकार का अर्थ यह नहीं है कि वादी अपनी स्वयं की दुकान की सुरक्षा को ही तिलांजली दे दे । दोनों स्थानों के शटर कोठीबाजार में प्रातः जब खुलती है तब खोले जाते हैं एवं जब दुकानें बंद होती है तब बंद किये जाते हैं। तब वादी द्वारा किसी भी प्रकार से व्यवधान उत्पन्न करने का प्रश्न ही नहीं है।

**09.** प्रतिवादी मन से ही वादी के विरुद्ध सोचकर रिपोर्ट करता है । वादी द्वारा कोई भी निर्माण नहीं किया गया है। जहाँ तक ये प्रापर्टी के ऑनर तरुण भावसार है ” का फ्लैक्स लगाये जाने से प्रतिवादी को कोई आपत्ति इसलिये नहीं होना चाहिये क्योंकि वादी उस संपत्ति का स्वामी है । प्रतिवादी को मात्र आने जाने का अधिकार प्रदत्त किया गया है। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत यह निषेधाज्ञा आवेदन पत्र मात्र वादी के प्रतिपरीक्षण से बचने के उद्देश्य से दुर्भावनापूर्वक दिया गया है। मुर्गी चौक वाले रास्ते से भावसार मार्केट में जाने वाले भाग के भूतल पर एक ओर प्रतिवादी का

किरायेदार रॉयल टेलर है एवं दूसरी ओर वादी के स्वामित्व की दुकान है जिसका उपयोग वादी गोडाउन हेतु करता है।

**10.** वादी एवं प्रतिवादी दोनों ही व्यवसायी हैं तथा सामान्यतः लगभग एक ही टाइम पर पूरा कोठीबाजार मार्केट एक साथ खुलता है और एक ही टाइम पर बंद होता है। जब वादी की दुकान खुलती है उस समय सीमेंट रोड स्थित शटर एवं मुर्गी चौक के रास्ते की ओर का शटर खोला जाता है और ये दोनों शटर जब रात्रि में दुकानें बंद होती हैं तब सबसे अंत में बंद किये जाते हैं। यह स्थिति वादी के पिता के समय से चली आ रही है। वादी ने जानबूझकर शटर में जो बोर्ड वेल्ड किया है उसे निकाले जाने का अनुतोष चाहा है ऐसा अनुतोष प्रतिवादी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इसके अतिरिक्त सुबह 8:00 बजे का जो समय अनुतोष की कड़िका में उल्लेखित किया है जब संपूर्ण कोठीबाजार का मार्केट जिसमें कि प्रतिवादी की दुकान भी शामिल है। सुबह 10:00 बजे तक भी नहीं खुलती है। बैतूल में मार्केट 10 बजे के बाद ही खुलता है। स्वयं प्रतिवादी की दुकान सीमेंट रोड पर मुख्य मार्ग की ओर स्थित है वह माल उस स्थान से अपनी दुकान में लाना ले जाना करता है। इस आवेदन के माध्यम से प्रतिवादी मुर्गी चौक वाले रास्ते से माल का लाना ले जाना करता है और इसलिये जो लगभग 9-10 इंच भूमि सतह से उंची सीढ़ी बनी है उसे डेढ़ फुट उंची होना अभिकथित कर दिया है और अब हाथ ठेले के लाने ले जाने के संदर्भ में अनुतोष मांग रहा है। प्रतिवादी ने जिन दो तीन व्यक्तियों की फोटो शटर के सामने खड़े होकर कार्य करते हुये प्रस्तुत की है उन दोनों फोटो में वे कर्मचारी अन्य दुकान के शटर को सुधारते हुये दिख रहे हैं। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

**11.** अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन के निराकरण हेतु निम्नलिखित तीन अवधारणीय बिन्दु हैं कि क्या:-

- 1- प्रथम दृष्ट्या मामला ।
- 2- सुविधा का संतुलन या ।
- 3- अपूर्णीय स्वरूप की क्षति के मानक प्रतिवादीगण के पक्ष में है।

**—:अवधारणीय बिन्दु क्रमांक-1 सकारण निष्कर्ष:—**

**12.** वादी एवं प्रतिवादीगण के अभिवचन से यह स्पष्ट है कि दोनों के मध्य रास्ते के संबंध में व्य.वाद क 20ए/2005 चला, जिसमें पारित निर्णय दिनांक 26.10.2010 के विरुद्ध वादी तरुण ने अपील की थी जो अपील क्रमांक 17ए/2010 दिनांक 28.07.2011 को पारित निर्णय अनुसार निरस्त हुई । पश्चात द्वितीय अपील माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के समक्ष लंबित है।

**13.** प्रतिवादीगण के यह अभिवचन हैं कि वादी की निर्मित दुकान के बाजू में उत्तर दिशा की ओर साढ़े 7 फीट चौड़ाई x 102 फीट लंबाई की भूमि में 3111 फीट चौड़ाई x 102 फीट लंबाई जिसे प्रतिदावे के साथ संलग्न नजरी नक्शे से दर्शित किया गया है, के स्वत्वाधिकारी होने के संबंध में प्रतिदावा पेश किया गया है। चूंकि आवेदन में प्रतिवादी ने उल्लेख किया है कि मुर्गी चौक से अंदर जाने वाले रास्ते पर संलग्न फोटोग्राफ्स में ए और बी से दर्शाये अनुसार निर्माण किया है और रास्ते में जाली वाले शटर पर लोहे का बोर्ड वेल्ड किया है और इस संबंध में फोटोग्राफ्स पेश किये हैं। संलग्न फोटोग्राफ्स अवलोकन से स्पष्ट होता है कि “ये प्रॉपर्टी के ऑनर तरुण भावसार हैं” का बोर्ड लगा होकर लोहे की जाली वाला गेट दिख रहा है। उक्त विवादित स्थान प्रतिवादीगण के स्वामित्व का है और उक्त निर्माण वादी द्वारा दौराने वाद किया गया, इस तथ्य का निर्धारण साक्ष्य प्रस्तुति के पश्चात गुण-दोषों के आधार पर ही किया जा सकेगा। अभिलेख पर आई उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये प्रथम दृष्ट्या मामला प्रतिवादीगण के पक्ष में होना स्थापित नहीं होता है।

**—:अवधारणीय बिन्दु क्रमांक- 2 व 3 सकारण निष्कर्ष:—**

**14.** प्रतिवादीगण द्वारा यह अभिवचन किया गया है कि वादी द्वारा किये गये निर्माण को हटाया जावे तथा रास्ते में लगी जाली वाले शटर पर लगे बोर्ड को निकालने हेतु निर्देशित किया जावे और उक्त शटर में वेल्डिंग किये गये लोहे की एंगलाईन, एक बोर्ड को तुरंत हटाकर शटर जिस तरह से पूर्व में खुलकर जिस उंचाई तक जाता था तदानुसार दिनांक 21.09.2017 की स्थिति में लावें। उक्त से स्पष्ट है कि उक्त निर्माण स्थाई रूप से कर लिया गया है । निर्माण को तोड़े जाने का वांछित अनुतोष अंतिम स्तर का है । अस्थाई निषेधाज्ञा के अंतर्गत उक्तानुसार याचित अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता।

**15.** प्रतिवादी ने यह भी अभिवचित किया है कि वादी को निर्देशित किया जावे कि अपनी इच्छानुसार शटर बंद न करे । सुबह 8:00 से रात्रि 9:00 बजे तक शटर बंद

करने का प्रयास न करे और प्रतिवादी क्र. 1 एवं 2 के परिवारजन, कर्मचारीगण, ग्राहकों एवं मजदूरों को आने-जाने से हाथ ठेले से माल लाने व ले जाने से नहीं रोके। जबकि वादी ने जवाब में स्पष्ट किया है कि उसके द्वारा जब मार्केट खुलता है तब शटर खोला जाता है तथा रात्रि के 10:00 बजे जब मार्केट बंद होता है तब उनके द्वारा शटर बंद कर दिया जाता है। अतः स्पष्ट है कि वादी द्वारा मार्केट चालू होने पर शटर को खोला जाता है जो दिन भर खुला रहता है जहाँ से सभी व्यक्तियों का आना जाना रहता है। पश्चात रात्रि के 10:00 बजे सुरक्षा की दृष्टि से उनके द्वारा बंद किया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण या उनके कर्मचारियों/मजदूर रास्ता खुला होने से आने जाने से वंचित होते हैं ऐसा प्रथम दृष्ट्या स्थापित नहीं होता है। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूर्ण स्वयं की क्षति के मानक भी प्रतिवादीगण के पक्ष में होना स्थापित नहीं। प्रतिवादीगण का आवेदन स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

**16.** इस आदेश के विवेचन का प्रभाव प्रकरण के आगामी प्रक्रमों पर नहीं होगा।

आदेश दिनांकित व हस्ताक्षरित कर,  
पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

सही /—

(श्रीमती सीता कनोजे)

प्र.व्य.न्यायाधीश वर्ग-1 बैतूल के न्या.  
के तृतीय अति.व्यवहार न्या.वर्ग-1 बैतूल  
जिला-बैतूल म0प्र0

सही /—

(श्रीमती सीता कनोजे)

प्र.व्य.न्यायाधीश वर्ग-1 बैतूल के न्या.  
के तृतीय अति.व्यवहार न्या.वर्ग-1 बैतूल  
जिला-बैतूल म0प्र0